न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2018

अपीलान्ट

1. हंसाराम पुत्र अमराजी जाति मीणा निवासी कांटल तहसील पिण्डवाडा
2. सोनिया पुत्र अमराजी जाति मीणा निवासी कांटल तहसील पिण्डवाड़ा

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 मृतक चतरा पुत्र मालाराम जाति मीणा निवासी कांटल के का0मु0
1.1 भीखाराम पुत्र चतराजी
1.2 हेमाराम पुत्र चतराजी
1.3 सोमाराम पुत्र चतराजी
1.4 नारायण पुत्र चतराजी
1.5 अमृत पुत्र चतराजी
1.6 बसंती पुत्री चतराजी
1.7 रेखा पुत्री चतराजी
1.8 गुडिया पुत्री चतराजी
1.9 नैनी पुत्री चतराजी
1.10 अनुबाई पत्नी चतराजी
2 हीरा पुत्र मालाजी
3 शंकर पुत्र डायाजी
4 पोखरी पत्नी डायाजी
5 जगा पुत्र अनाजी के का0मु0
5.1 रम्बा पत्नी जगाराम
5.2 छोगाराम पुत्र जगाराम (मृतक)
5.3 मीठकी पुत्री जगाजी पत्नी सीताराम जाति मीणा निवासी सिवेरा
5.4 संतोष पत्री जगाजी पत्नी सीताराम जाति मीणा निवासी सिरोही रोड़
5.5 दुर्गा पुत्री जगाजी पत्नी मंछाराम जाति मीणा निवासी कागतरा झुपा तहसील बाली
6 पदमा पुत्र भीमाजी जाति मीणा निवासी कांटल
7 रामा पुत्र वीराजी जाति मीणा निवासी कांटल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

8 धुली पत्नी वीराजी जाति मीणा
निवासी कांटल के का0मु0
8.1 मृतक रामा पुत्र वीराजी जाति मीणा
निवासी कांटल
8.2 तुलसी पुत्री वीराजी जाति मीणा
निवासी नोदिया तहसील पिण्डवाडा
8.3 देवी पुत्री वीराजी जाति मीणा निवासी
धांचीवाडा मेणवाडा, सिरोही
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
पिण्डवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सुरेशचन्द्र सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/9
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.8.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि है। इस भूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलें हुई है तथा वर्तमान में भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है एवं एक प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष भी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वादी थे अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हीरा पुत्र मालाजी अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर चुके है। इनके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा आता है, जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

किया जा चुका है। ये भूमि बेचान करने के पश्चात खातेदार नहीं रहे है। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्रेतागण को पक्षकार ही नहीं बनाया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 211 के तहत समस्त पक्षकारों को पार्टी बनाया जाना चाहिए। बिना क्रेता को पक्षकार बनाए डिक्री की पालना नहीं हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है। वादीगण का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि 65 वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों ने बंटवाडा कर लिया था। स्वयं वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि अलग अलग काश्त करते है, किन्तु विधि अनुसार बंटवाडा नहीं होने से दावा लाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की है, उसमें अपीलाण्ट के कब्जे वाली भूमि अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गई है, जिससे अपीलाण्ट के हित प्रभावित हुए है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, उन पर गौर किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाए बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चतरा एवं हीरा द्वारा दिनांक 04.06.1999 को वाद प्रस्तुत किया था, जो वाद संख्या 23/1998 दायर हुआ। जिसमें मुख्य पक्षकार हंसाराम व सोनिया थे तथा शेष पक्षकारों को खातेदार होने के नाते संयोजित किया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 16.11.1998 को प्रतिवादीगण का जवाबदावा पेश हुआ एवं दिनांक 11.10.1999 को सहमति से बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाने के आदेश पारित हुए। जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 05.08.2000 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध सिलसिलेवार अपीलें दायर करवाई गई। अन्तिम रूप से दिनांक 27.07.2011 को निर्णीत हुआ, जिसमें प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण में जैर अपील वादस्थ भूमि में चतरा व हीरा का 1/5 हिस्सा, अमराजी का 1/5 हिस्सा, जगा का 1/5 हिस्सा, पदमा पुत्र भीमाजी का 1/5 हिस्सा तथा वीरा का 1/5 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। उपयोगिता एवं उपजाऊपन के आधार पर सभी को 1/5 – 1/5 हिस्सा दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पक्षकारान् पूर्वजों से हुए विभाजन के अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ऐसा कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उल्लेखित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा जो तथ्य उठाए है, उन्होनें उन तथ्यों को दस्तावेजी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

मौखिक साक्ष्यों से साबित किया है। अपीलाण्ट द्वारा उन तथ्यों का दर्शाया जा रहा है, जिनका अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्होनें अनुतोष ही नहीं चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई, उन तनकीयात को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से सिद्ध किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सिलसिलेवार तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर वादी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद प्रस्तुत कर अपनी सह खातेदारी भूमि मौजा कांटल के खसरा नम्बर 292 से 296, 323 से 362, 366 से 399, 522 व 418 कुल खसरा 51 जिसका कुल रकबा 29 बीघा 9 बिस्वा भूमि में स्वयं का 1/5 हिस्सा बताते हुए भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करना जाहिर किया तथा विभाजन कराने का निवेदन किया। इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी संख्या 3 से 8 द्वारा दिनांक 08.03.1999 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी का बंटवाडा पक्षकारान के हिस्से अनुसार कराने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2, जो हस्तगत अपील में अपीलाण्ट है, ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.11.1998 को जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि पक्षकारान पूर्वजों द्वारा किए गए विभाजन अनुसार काबिज काश्त है तथा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाए जाने से भी वाद खारिज़ कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात तनकीयात कायम की गई एवं तत्पश्चात दिनांक 11.10.1999 को उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा तहसीलदार पिण्डवाड़ा को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आपत्ति का निस्तारण करते हुए दिनांक 05.08.2000 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के समक्ष हुई, जिसमें दिनांक 26.02.2001 को निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 06.09.2002 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निणयों को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु सहायक कलक्टर आबू-पर्वत को प्रतिप्रेषित किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण में प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.03.2004 को पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार पिण्डवाडा को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 23.04.2004 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश की अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 17.05.2005 को अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त किया तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि वे दिनांक 26.03.2004 से पूर्व की स्थिति से आगे की कार्यवाही आरम्भ कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 27.07.2011 को निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की। इसके पश्चात परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2004 से पूर्व की स्थिति अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.01.2018 को जैर अपील आदेश पारित किया गया।

इस सम्पूर्ण कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में सिलसिलेवार निर्णय पारित किए गए है तथा अपीलीय न्यायालयों से प्रकरण में विधिक परीक्षण भी हो चुका है। प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है तथा उक्त विभाजन प्रस्तावों पर प्रस्तुत आपत्तियों का भी निराकरण किया जा चुका है। अब प्रकरण में ऐसा कोई विधिक बिन्दु अथवा तथ्य शेष नहीं रहा है, जो विधिक परीक्षण का मोहताज़ हो। जैर अपील निर्णय का अवलोकन करने पर भी यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेती एवं मौखिक साक्ष्यों को विवेचित करते हुए विधिवत तनकीयात विनिश्चय करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.01.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner